न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-133/2014

नानूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0-1 ग्राम परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- प्रमोदकुमार
2-मनोजकुमार
3-अरूणकुमार
पुत्रगण प्रभूदयाल
4- बिमलादेवी पत्नी प्रभूदयाल
5- हरदेव पुत्र भूरा
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी पूनियावाली तन जैतूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

6- बीरबल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी ढाणी छीलावाली तन महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

7-रामलाल
8-सेवाराम
पुत्रगण बालूराम जाति जाट निवासी पूनियावाली तन जैतूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
9- रविकुमार उर्फ गोपाल
10-रघनाथ पुत्र त्रिलोकराम मृत
10/1- प्रभातीदेवी पत्नी रघनाथ
10/2- तीजवन्ती पुत्र रघनाथ
10/3- इन्द्रादेवी पुत्री रघनाथ
10/4- गोपाल पुत्र रघनाथ
10/5- कुमारी सावित्री पुत्री रघनाथ
10/6- गायत्री पुत्री रघनाथ
10/7- कुमारी आभा पुत्री रघनाथ
10/8- तेजस पुत्र रघनाथ
जाति जाट निवासीगण गणपति धाम के सामने परसरामपुरा सरगोठ वार्ड नं0-1 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

11- मुखाराम
12- लादूराम
पुत्रगण भूराराम जाति जाट निवासी परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13- कैलाशचन्द पुत्र सीताराम जाति पुरोहित निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

14- सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

15- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ।

16- नटवरलाल शारदा पुत्र तनसुख शारदा जाति माहेश्वरी निवासी एस-39.39 महेश कालोनी टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 19-5-2010 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट
3-श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 9.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 9 ने अदालत मातहत में दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0239, 240, 329 व 330 कुल किता-4 रकबा 13.98 हैक्टर ग्राम परसरामपुरा में वादी सं0-1 से 4 का हिस्सा 1/6 भाग भूमि 15 बीघा, वादी संख्या-5 का हिस्सा 1/6 भाग भूमि 15 बीघा वादी सं0-6 का हिस्सा 1/3 भाग भूमि 15 बीघा, वादी सं0-7 से 9 का हिस्सा 1/3 भाग भूमि 15 बीघा राजस्व रेकार्ड मेंदर्ज है तथा प्रतिवादी सं0-1 का हिस्सा 14 बीघा 12 बिस्वा दर हिस्सा 1/2 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0-2 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है ।उक्त आराजी अविभाजित है। जिसे पक्षकारों ने आपसी बाहमी बंटवारा कर मौके पर अलग अलग सींव नींव कायम कर काबिज है। जिसके अनुसार ख0न0 329 के उत्तरी दिशा में व ख0नं0 330 के दक्षिणी दिशा में एवं ख0नं0 239 के मध्य में एवं खसरा नं0 240 की दक्षिणी दिशा में मौके पर वादीगण काबिज है काश्त है। शेष भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है ।किन्तु प्रतिवादीगण बिना बंटवारा कराये ही इस आराजी का बैचान करने पर आमादा है ।इस कारण यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं देते हुये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपना निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट के पास दावे के कोई नोटिस नहीं पंहुचे तथा ना ही तामिल कुनिन्दा कभी नोटिस लेकर गया । अपीलान्ट की कोई तामिल विधिवत नहीं हुई है । कानूनन भी नोटिस लेने से ~~ooo~~ इन्कार किए जाने की रिपोर्ट पर पुनः चस्पांदगी से तामिल कराये जाने का प्रावधान है, किन्तु अदालत मातहत ने निर्णय करने में अतिशीघ्रता दिखाते हुये बिना किसी प्रक्रिया के कानूनी अनदेखी कर अपना निर्णय व डिक्री पारित की है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 9 ने तकास्मा का दावा पेश किया है । तकास्मा के दावे में मौके की रिपोर्ट समस्त खातेदारों या पक्षकारों की उपस्थिति में मंगवाय जाना विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के लिये प्रारम्भिक डिक्री पारित किए जाने का आज्ञापक प्रावधान है किन्तु अदालत मातहत ने विवादित आराजी का न तो विभाजन प्रस्ताव मंगवाया है न ही किसी प्रकार की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा ना ही वादीगण ने बंटवारा को किसी साक्ष्य से साबित किया है । अदालत मातहत ने वादीगण को ख0नं0 329 के उत्तरी भाग ख0नं0 330 के दक्षिणी भाग, ख0नं0 239 के मध्य भाग, ख0नं0 240 के दक्षिण भाग का वादीगण के बंटवारे में होना मानकर निर्णय एवं डिक्री पारित किया है किन्तु कितने रकबे पर कब्जा है कोई खुलासा नहीं किया है। पटवारी हल्का ने अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री की पालना में असमर्थता जताते हुये मार्गदर्शन चाहा है जिस पर अदालत मातहत ने सहमति देते हुये तहसीलदार को रिपोर्ट भिजवाई जिस पर तहसीलदार बिना मौके पर गये बिना मौके की रिपोर्ट लिये पीठासीन अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी अर्थात जिस तकास्मा से निर्णय व डिक्री पारित की गई उसी तकास्मा पर रिपोर्ट तैयार हुई एवं उसी के आधार पर दिनांक 24-5-10 को संशोधित डिक्री पारित कर दी । जिसमें भी बटटा नम्बर का नक्शे में कोई अंकन नहीं है । अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर कोई गौर न करते हुये अपना निर्णय पारित किया है । आराजी ख0नं0 329 सम्पूर्ण पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । किन्तु माह सितम्बर में रेस्पोडेन्ट ने ख0नं0 329 पर लेवलिंग करना

शुरू कर दिया जिस पर अपीलान्ट ने विवादित आराजी की जमाबन्दी की नकल ली तब भूमियों के बटटा नम्बर देखकर आश्चर्य में पड गया जिस पर एक वाद तो अविलम्ब दिनांक 23-9-2014 को उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहाँ पेश किया तथा इसके बाद राजस्व रेकार्ड की नकले ली जिस पर दिनांक 10-11-14 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट से मिलकर इस बाबत कहा तो मिल बैठकर मामले को सुलटा लेगें का आश्वासन दे दिया तथापूर्व बंटवारे के अनुसार रेकार्ड दुरूस्त कराने का भी आश्वासन दे दिया। तथा बाद में कहा कि हमने तो इस आराजी का बैचान कर दिया । जिस पर दिनांक 23-11-14 को रेस्पोडेन्ट व इनके साथ अन्य व्यक्ति भूमि को लेवलिंग कर निर्माण की तैयारी में जुट गये । तब अपीलान्ट ने उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में विचाराधीन वाद नानूराम बनाम बिमलादेवी में स्थगन होने की बात कही तो नहीं माने तथा कहा कि उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के स्थगन आदेश पर रोक लगा देने की बात कहीं जिस पर अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण में वकील नियुक्त किया तथा अपीलान्ट को विश्वास हो गया कि रेस्पोडेन्ट बैठकर समझौता नहीं करेगा । इस पर अपीलान्ट ने बिना विलम्ब यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2063 से 2066 में ख0नं0 239, 240, 329, 330 कुल किता-4 रकबा 13.98 हैक्टर की खातेदारी नानूराम पुत्र भूराराम हि0 3/10, मुखाराम लादूराम पि0 भूराराम हि0 3/5, कैलाश पुत्र सीताराम पारीक हि0 1/10, 29 बीघा 11 बिस्वा रूघनाथ पुत्र त्रिलोकराम 14 बीघा 12 बिस्वा हि0 1/2, भूराराम बालूराम पि0 तिलोकराम हि0 2/3 बीरबल पुत्र हणमान हि0 1/3

भूमि 15 बीघा ब0हि0ब0 के नाम दर्ज है ।अदालत मातहत ने दिनांक 19-5-10 को एवं 24-5-10 को डिक्री जारी की है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार संशोधित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट का मुख्य तर्क रहा कि रेस्पोडेन्ट का दावा तकास्मा का दावा था तकास्मा के दावे में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर मौके के विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाने चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने कोई मौके की रिपोर्ट नहीं मंगवाई बिना विभाजन प्रस्ताव के ही बिना रकबा दर्ज किये ही डिक्री जारी की है जो कानून के विपरित है। इसके समर्थन में कानूनी नजीर आरआरटी 2017(1) पेज 689, आरआरडी अगस्त 2005 पेज-505, आरआरडी 2011 पेज-558, 581, 202, आरआरडी 1995 पेज=47, 475, आरआरडी 2000 पेज 170, आरआरसी 2001 पेज-306 पेश कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।इसके विपरित विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया अपीलान्ट ने नोटिस लेने से इन्कार किया है । प्रतिवादीगण ने कोई जबाब दावा पेश नहीं किया । अदालत मातहत ने मौके के अनुसार बंटवारा किया है जिस पर तहसीलदार ने मौके की रिपोर्ट लेकर आदेश पारित किया है ।मौके पर बंटवारा किया हुआ है जिसको हमने साबित किया है ।अपीलान्ट ने प्रारम्भिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की अलग अलग अपील ने कर संयुक्त रूप से ~~0000~~ एक ही अपील पेश की है जो आरआरटी 2014(1) पेज 397 में स्पष्ट किया गया है कि अन्तिम डिक्री एवं प्रारम्भिक डिक्री की अपील अलग अलग ही पेश की जावेगी । अपीलान्ट ने दोनो आदेशों की अपील संयुक्त रूप से पेश कर कानूनी भूल की है। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से पक्षकार विवादित आराजी के सहखातेदार दर्ज है जिनका मुताबिक राजस्व रेकार्ड विभाजन किया गया है ।अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट अदालत मातहत में बाबवजूद सूचना हाजिर नहीं हुये अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है किन्तु अपील का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण किये जाने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद

~~0000~~

उपखण्ड अधिकारी एवं

शुमार की जाती है । अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर आदेश पारित किया है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 19-5-2010 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 24-5-2010 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 9-4.2018 को सुनाया गया ।

9/4/18

(भंवरलाल [illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा, आर0ए0एस0

नानूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0-1 ग्राम परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर। --अपीलान्ट--

--बनाम--

1-प्रमोदकुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी पूनियावाली तन जैतूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।आदी --रेस्पोडेन्टस्--

नोट- उनवान संलग्न है ।

अपील नम्बर 133 सन् 2014 बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

दिनांक 19 माह 5 सन् 2010

मुकाम - 24 5 2010

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 9-4-2018 हब्स हमारे व हाजिर श्री रामेश्वरलाल बिजारणिया मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री प्रभातीलाल मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-5-2010 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 24-5-2010 यथावत रखा जाता है ।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग .....xxx..... रुपये अदा करें।

खर्चा मुकदमा मातहत का .....xxx..... रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 9-4-2018 को जारी की गई।

दस्तखत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

ओहदा

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	

दस्तखत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं